



परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

### एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग


  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)


लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .....वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

-----लागू नहीं है।-----



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग


A-2-41  
A-2-42

Page No. 41

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)–

वन पंचायत भूमि	–	0.000 है०
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.420 है०
आरक्षित वन भूमि	–	0.245 है०
निजी भूमि	–	0.735 है०
योग	–	1.400 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

3. वन प्रभाग का नाम – रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है – हाँ/नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हाँ/नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है – हाँ/नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हाँ/नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है – हाँ/नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हाँ/नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/नहीं

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं

15. क्या माचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ/नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ/नहीं ✓
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं ✓
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं ✓
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं ✓
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं ✓
23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं ✓
24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय - हाँ/नहीं ✓
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं
26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण ग्रामवासियों के असंतोष व H.P बैंड अधिक होने के कारण
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ/नहीं ✓  
(5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है - हाँ/नहीं ✓
29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें - हाँ/नहीं ✓  
अथवा  
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓
30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं ✓
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है- यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित है - हाँ/नहीं ✓
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓
33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं ✓
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं ✓
35. ग्राम समा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं ✓

36. एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) - हाँ/नहीं
37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है - हाँ/नहीं
38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं - हाँ/नहीं
41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है - हाँ/नहीं


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
Rahul रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

### दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग




अधिशारी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेखण रखा गया है। परन्तु प्रस्तावित समरेखण में एच पी बैंड अधिक हैं, जिस कारण स्थानीय जनता /जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त समरेखण पर असन्तोष व्यक्त किया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग




अधिसासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)


### वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.665 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 5.50 लाख प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू० 3.65 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेंट प्रतिशत की दर से रू० होता है।

प्रति हस्ताक्षरित

  
राजस्व उपनिरीक्षक तहसीलदार  
रुद्रप्रयाग तहसील रुद्रप्रयाग  
जनपद रुद्रप्रयाग


  
उपजिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग  
उपजिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग

  
राजस्व उपनिरीक्षक  
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं


मार्ग/सेतु की लम्बाई (वास्तविक)	-	2.00 किमी०
मार्ग में पड़ने वाले ग्राम	-	आबादी
काण्डा	00255900	174
		-----
	कुल -	174
		-----

मार्ग/सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :- 30°16'43" उ०

देशान्तर :- 79°04'32" पू०



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

## भू-संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान भू-वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू-संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

*T. K. Singh*  
J-E

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

*[Signature]*  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

## विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान-

किमी० 1 - हेमी० ०-2

किमी० 2 - हेमी० ०-2, 6-8



*Rahul*

कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

*62*

सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग।

*Qw*



Q

Tzahul  
JIF.

61